न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल,सहरसा।

ज्ञापांक 2671/विधि सहरसा, दिनांक 13-9-2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण पुन0 वाद सं0-88/2018 में दिनांक-12.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, समाहरणालय, सहरसा को उनके पत्रांक 275 दिनांक 14.05.2018 से प्राप्त निम्न न्यायालय के जमाबंदी अपीलवाद संख्या-02/2017 का मूल अभिलेख कुल-122 पन्ना वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि:- रामपुकार यादव व विजेन्द्र यादव व कमल किशोर यादव, सभी पिता-स्व0 बाबूजी यादव, सा0-चन्दौर, थाना+अंचल-सौरबाजार, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

(7)

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
12/09/2022	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **जमाबंदी पुनरीक्षणवाद संख्याः–88/2018** **रामपुकार यादव एवं अन्य.....पुनरीक्षणकर्त्ता** **–बनाम–** **राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट** **–:: आदेश ::–** प्रस्तुत जमाबंदी पुनरीक्षणवाद श्री रामपुकार यादव वो विजेन्द्र यादव वो कमल किशोर यादव, सभी पिता–स्व0 बाबू जी यादव, सा0–चन्दौर, थाना+अंचल–सौरबाजार, जिला–सहरसा के द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के जमाबंदी अपीलवाद संख्या–02/2017 में दिनांक 10.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा के वाद सं0–03/2014 दिनांक 28.03.2015 राज्य बनाम रामपुकार यादव एवं अन्य एवं न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा अपीलवाद सं0–19/2014 दिनांक 06.06.2017 में पारित आदेश को न्यायोचित पाते हुए अपीलार्थी रामपुकार यादव एवं अन्य के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया है। वादीगणों का मूल रूप से कहना हैं कि प्रश्नगत भूमि अंदर मौजा–चन्दौर, थाना–106, थाना वो अंचल–सौरबाजार, जिला–सहरसा अंदर खाता–634, खेसरा–11266, रकवा–15 कट्ठा किस्म पोखरा का अस्तित्व कोशी विभीषिका के चलते सरजमीन पर समाप्त हो गया। उक्त एराजी "गैरमजरूआ खास" था, जो कोशी विभीषिका में मिट्टी भर जाने के कारण मालिक जमीन्दार के हक दखल में आया। मालिक जमीन्दार द्वारा दिनांक 04.03.1941 ई0 को वादीगणों के पिता बाबूजी मंडल को बन्दोवस्त कर परमानगी बना	

Dey.

भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा चले आए तथा वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीगण हकदार व दखलकार हैं। उनके पिता के द्वारा अंचल सिरिस्ता में जमाबंदी हेतु आवेदन दिये जाने पर लगान निर्धारण वाद सं0-02/1990 दर्ज हुआ तथा नियमानुसार साक्ष्य सबूत तथा दखल कब्जा से संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, सौरबाजार के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को लगान निर्धारण हेतु अनुसंशा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा उक्त वाद में दिनांक 31.03.1991 को अंतिम आदेश पारित करते हुए दो रूपया एकतीस पैसा लगान निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेश के आधार पर बाबूजी यादव के नाम से जमाबंदी सं0-341 अंचल सिरिस्ता में कायम होकर लगान रसीद निर्गत किया जाने लगा। वादीगणों का कहना है कि नया सर्वे कार्यवाही में सर्वे अमला के भूल व गलती से वादी के पिता के नाम बन्दोवस्ती से प्राप्त भूमि के अंश रकवा का खाता रकवा-10 डी0 अनावाद बिहार सरकार दर्ज हो गया, जिसके विरूद्ध वादीगण के पिता के द्वारा धारा-106 बी0टी0 एक्ट के प्रावधान के तहत वाद सं0-32810/1995 दर्ज किया गया। उनके अनुसार उक्त वाद में बिहार सरकार की ओर से दिनांक 22.05.1998 को हाजिरी दी गई तथा दिनांक 17.07.1998 ई0 को अपना जवाब दाखिल किया गया। उक्त वाद में दिनांक 16.06.2000 को सक्षम प्राधिकार के द्वारा आदेश पारित करते हुए वादीगण के पिता बाबूजी यादव के अधिकार, स्वामित्व एवं दखल कब्जा को सम्पुष्ट किया गया, जिसके अनुसार जमाबंदी संख्या-4226 कायम होकर मालगुजारी रसीद अपीलार्थी के पिता के नाम प्राप्त होने लगा। वादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद-03/2014 न्यायालय समाहर्त्ता, सहरसा में अन्दर धारा-108 बी0टी0 एक्ट के तहत काफी विलम्ब से लगभग 13 वर्ष बाद सरकार की ओर से दायर किया गया, जो विद्वान समाहर्त्ता के द्वारा दिनांक 28.02.2015 को अस्वीकृत कर दिया गया। वादगणों का कहना है कि दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान खाता-3312 खेसरा-15405, रकवा-65 डी0 उनके पिता-बाबूजी यादव के नाम से तरमीन हो चुका है तथा अक्षुण्ण है। उक्त स्थिति में समाहर्त्ता, सहरसा का तत्संबंधी आदेश दिनांक 10.11.2018 बिल्कुल अवैधानिक

द्वारा C.W.J.C No.-10123/2013 में [illegible] कि पुराना खतियान के गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास अथवा कैसर-ए-हिन्द के जमीन की बन्दोवस्ती एवं उसके सापेक्ष जमाबंदी को नाजायज नहीं कहा जा सकता एवं बिहार लैण्ड म्यूटेशन एक्ट-2011 की धारा-9 के तहत उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। समुचित आदेश हेतु व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता बनती हे। उक्त के आलोक में वादीगणों के द्वारा न्यायहित में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकार करने तथा निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य की ओर से पक्ष रखते हुए सरकारी अधिवक्ता से प्राप्त मंतब्य में उनका वादी द्वारा किये गये दावों के संबंध में कहना है कि अपर समाहर्त्ता, सहरसा एवं समाहर्त्ता, सहरसा दोनों ही न्यायालय में प्रश्नगत जमीन की जाँच की गई तथा स्थल की भी उनके द्वारा जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि पुराने सर्वे के समय से ही यह खेसरा सर्वसाधारण आम जनता के उपयोग में रहता आया है। अभी भी उसका स्वरूप जाँच के क्रम में पोखर पाया गया। उक्त जाँच में यह भी पाया गया कि दफा-106 बी0टी0 एक्ट में पारित आदेश जाली-फरेबी रिटर्न दाखिल कर नाजायज तरीके से हासिल किया गया है, जिसकी मान्यता बिहार सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई है। प्रश्नगत भूमि पुराना सर्वे से लेकर हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार के नाम से दर्ज हुआ तथा उसमें किस्म भी पोखर दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक की जुबानी बन्दोवस्ती की कहानी गलत साबित होती है। वादीगणों के पिता को भूतपूर्व मालिक जमीन्दार के द्वारा वादगत भूमि कभी भी बन्दोवस्त नहीं किया गया तथा न आवेदक का कभी दखल कब्जा हुआ और न कोई भेस्टिंग रिटर्न मालिक जमीन्दार दाखिल किये। निम्न न्यायालय के द्वारा भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद से संलग्न कागजात के अवलोकन तथा स्थल जाँच के बाद पाया गया कि अपर समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-03/2014 में दिनांक 28.03.2015 को पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। तदालोक में उनके द्वारा समाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा अपीलवाद 19/2014 में दिनांक 06.06. 2017 में पारित आदेश को न्यायोचित बताते हुए इस पुनरीक्षण वाद

उभय पक्ष को सुनने तथा उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत भूमि का किस्म "गैरमजरूआ खास" तथा वर्तमान स्वरूप पोखर है, जो सर्वसाधारण आम जनता के उपयोग में रहता आया है। वादी अपने दावा को साबित करने में असमर्थ रहे हैं। उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षणवाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना संबंधितों को दें तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

12/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

12/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।